न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

① 28/9/20
15/10/20
9/11/20
3/12/20
14/12/20
समाप्त

द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही
एम०पी० वाद संख्या 125/2020

प्रथम पक्ष :— 1. खुशहाली अंसारी पिता स्व० अलियरवा अंसारी सा० ग्राम+पो० करीरिया थाना बालीडीह, जिला बोकारो।

— बनाम —

द्वितीय पक्ष :— 1. सुन्दर लाल मांझी पिता स्व० एतू मांझी 2. सोना राम मांझी, पिता सुन्दर लाल मांझी 3. गुला राम मांझी पिता सुन्दर लाल मांझी 4. विजय मांझी पिता सुन्दर लाल मांझी 5. बड़कु मांझी पिता स्व० साहेब राम मांझी, 6. नरेश किस्कु पिता बड़कु मांझी, सभी ग्राम करहरिया टोला काशीटांड, पो० जारीडीह, थाना बालीडीह, जिला बोकारो।

कार्यवाही

प्रथम पक्ष के आवेदन दिनांक 17.08.2020 का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त आवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरूद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु आवेदन प्राप्त है ताकि शान्ति—व्यवस्था बनाया जा सके।

विवादित भूमि

राजस्व ग्राम/मौजा का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता सं०	खेसरा/प्लॉट सं०	रकवा
करहरिया	बालीडीह	01/89	01/2540	74 डी० में से दो केवाला दलील के तहत् 37½ डी०

पहला केवाला दलिल का चौहद्दी:—

उत्तर — सादील अंसारी दक्षिण— परती निज

पूरब—इस्मत अंसारी पश्चिम— दाता का निज

दूसरा केवाला दलिल का चौहद्दी:—

उत्तर — सादीन मियां दक्षिण— टाड खुशाली

पूरब— इस्मत अंसारी पश्चिम— दाता का निज

अतः आवेदन के विचारोपरान्त द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 07/9/2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण—पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष कर दिया जाय।

(हस्ताक्षर) 21/8/2020
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

9/2020 सूचना का तामिला प्राप्त।
प्रथम पक्ष के हाजरी है तथा S/C हेतु समय का आवेदन है
द्वितीय पक्ष के छः सदस्य का हाजरी है तथा S/C हेतु समय का आवेदन है।
दिनांक 28/9/2020 को रखें

फारम सं0 560

28/9/2020 प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हाजरी
द्वितीय पक्ष के स्व: सदस्य का हाजरी
S/C हेतु समय का आवेदन है।
दिनांक 15/10/2020 को रखें

S.D.M
[signature]

15/10/20

1st party :-
- 2nd party forcibly put paddy seeds in land.
- 1st party is cultivating from 1999 till last year.
- Sale deed in fourmer of 1st party.

2nd party :-
- proceeding on plot 01/2540 in wrong.
- 2095/2065 land is bandobast in GM land.
- Identity of land is vague
- Case does not have any mints.

Seek ~~hear~~ report on land from co chas
Next hearing on 09/11/2020.

dictated
~~Dedicated~~

[signature]
15/X/2020

9/11/2020 प्रथम पक्ष के हाजरी है
द्वितीय पक्ष के स्व: सदस्य का
हाजरी है।
दिनांक 3/12/2020 को रखें

हाजरी
4—फारम सं0 560

आदेश या कार्यवाही की क्रम संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
020 S.D.M Chas	प्रथम पक्ष के हाजरी हैं। द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है। अन्य का व्यक्तिगत हाजरी है। दिनांक 14/12/20 को रखें S.D.M Chas	
14/12/2020	Sec 144 has been imposed more than 60 days ago. Sec 144 is time bound in nature hence case is dropped. 14/12/2020	14/12/20 17/12/20

Digitally signed by PRANJAL DHANDA
Date: 2025.08.23 15.34.07 +05:30
Location: 192.168.1.3